FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मज अदालत......सहायक कलक्टर (SDO) बायतु......मुकाम..........

......खेताराम...... बनाम ......तुलसाराम वगैरा......

किस्म मुकदमा......रा० आवेदन 111, 128 RTR नं. 40/2022...... सन् ......2022......

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/02/2022	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री ......जगदीश गोदारा...... ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा ......111, 128...... राजस्थान काश्तकारी/भू-राजेस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक ......28/02/22......को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	
28/02/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या - 2 व 3 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा वकालातनामा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। शेष विप्रार्थी संख्या - 1 व 4 से 9 बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई, अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थी संख्या - 1 व 4 से 9 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थी संख्या - 1 व 4 से 9 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है तथा विप्रार्थी संख्या - 2 व 3 जवाब हेतु पत्रावली दिनांक 23/03/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/03/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या-2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, फाईल पेश करना चाहते है अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली फाईल दिनांक 06/04/2022 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO)
06/04/2022	प्रार्थी व विपक्षी संख्या-2 व 3 के वकील उपस्थित। विपक्षी संख्या-2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये, विपक्षी संख्या-2 व 3 का जवाब बन्द किया जाता है प्रार्थी के अधिवक्ता की एडमिशन बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विपक्षीगणो के खातेदारी खेत सेवा लेव आये हुए है खेतो के मध्य जो पुरानी मेडे व डोले बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है खेत की सीमाओं को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करने हेतु पैमाइशबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाइशबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइशबंदी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइशबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार [illegible] को सहायक कलक्टर (SDO)

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेजामबंदी मौके पर कमिश्नर रिपोर्ट जमाबन्दीवार करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 313

दिनांकः– 06/04/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. खेताराम पुत्र जगमालराम, जाति जाट, निवासी बेरी नाडी, पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह, तहसील गिडा (बाडमेर)

1. तुलसाराम पुत्र भारूराम वगैरा 09, जाति जाट, निवासी बेरी नाडी, पटवार मण्डल सवाऊ पदमसिंह, तहसील गिडा (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 40 / 2022

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – बेरी नाडी, पटवार मण्डल – सवाऊ पदमसिंह, तहसील – गिडा, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 28, 509/31 रकबा क्रमशः 0.1538, 10.1009 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

सहायक कलक्टर (SDO)
(जगदीश सिंह आशिया)
बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः–06/04/2022

क्रमांक / वाद / 2022 / 314-318

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का सवाऊ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खेताराम पुत्र जगमालराम,
4. विप्रार्थी श्री तुलसाराम पुत्र भारूराम वगैरा 09,
5. पुलिस थानाधिकारी गिडा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर